



## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

 [drishtiias.com/hindi/printpdf/rashtriya-manvadhikar-aayog](http://drishtiias.com/hindi/printpdf/rashtriya-manvadhikar-aayog)

### 1. पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सार्वजनिक (सर्वेषामिक नहीं) नियंत्रण है। इसके स्थापना संसद द्वारा 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' (2006 में संशोधित) द्वारा चंद्र 1993 में हुई।
- आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रबोही है। मानवाधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं जिसमें अधिकार का जीवन, व्यवज्ञा, समाजता और गरिमा का अधिकार जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और जो जन्मायलयों द्वारा प्रत्यक्षीय है।
- यह आयोग मानवाधिकार के विभिन्न उल्लेखन अथवा ऐसे उल्लेखन को रोकथाम में लोक सेवक द्वारा लापरवाही पर स्वतः सज्जन लेते हुए या उसे प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर जीवं जीवं को कानूनी करता है।

### 2. संगठन

- एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय नियकाय है जिसका एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
- इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधानसून मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसके बाद सर्वस्य नियुक्त होते हैं:
  - ❖ सर्वोच्च न्यायालय का कोई संवेदन या संविधानसून मुख्य न्यायाधीश।
  - ❖ विभिन्न उच्च न्यायालय का कोई संवेदन या संविधानसून मुख्य न्यायाधीश।
  - ❖ मानवाधिकार के सदर्भ में जन या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सम्मानित व्यक्ति�।
  - ❖ इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 4 घरेन सदस्य भी होते हैं— राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनतात आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

### 3. नियुक्ति और सदस्य

- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रीय द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति को सिफारिश पर की जाती है, इस समिति के 6 सदस्य हैं:
  - ❖ समिति अध्यक्ष के रूप में प्रभान्तरी।
  - ❖ लोकसभा अध्यक्ष।
  - ❖ कठीय गृह मंत्री।
  - ❖ गवर्नर्सका के उपभारपति।
  - ❖ संसद के दोनों संसदों के विपक्ष के नेता।



## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

### 4. कार्यक्रम

- अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष का कार्यक्रम अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु (जन्म से जो वहले पूरी हो जाए) तक पर धारण करते हैं।
- कार्यक्रम पूरा होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य कोड या राज्य समकार के अंतर्गत और नियुक्त नहीं होते।

### 5. आयोग की सीमा

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य पुरुषः सिफारिशी प्रबुद्धि का है और संबद्ध सरकार का प्राधिकारी पर वायाकारी नहीं है।
- इसके पास मानवाधिकार उल्लेखन के दोषों पर रहायक कार्यवाही अवधारणा पौरित को कोई मुआवजा (आर्केंड या अर्ग) देने की शक्ति नहीं है। इनकी पालने और साकाल बर्तनों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लेखन के सबै में इसकी भूमिका, शर्तावधी और अधिकार क्षेत्र बोर्ड समिति है।
- इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते।
- यह मानवाधिकार उल्लेखन के दोषों पर धारण करने की गई हो।
- प्रवर्तन से सर्वोच्च समस्याओं के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर्मचारियों को कमी, आयोग विवरणों, शिक्षाकार्यों को अधिकार संख्या और कार्यक्रमात्मकता की अधिकारों की सदस्या से भी ज़्यादा होती है।

### 6. प्रमुख बिंदु

- आयोग की भूमिका भले ही सिफारिशी और सलाहकारी प्रवृत्ति की हो लेकिन सरकार इसकी सिफारिशों को नकरान्देव नहीं कर सकती।
- इसके अलावा आप उसकी सिफारिशों को सीधे नकरान्देव किया जाता है तो आयोग उपयुक्त दिशा-निर्देश के लिये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है।
- मानवाधिकार उल्लेखन के मामलों की जीवं के लिये इसके पास जीवं अधिकारियों का आनना कोड्र है।
- हिसात में न्याय, कारणागत सुधार, बाल विवाह, वधुओं बन्दूरी, भूख से यात्री आदि विषयों पर मानवाधिकार आयोग के सुझाव को सरकार ने प्रतीकार भी किया है और इनसे मानवाधिकार की उन्नति में महद मिली है।

### 7. आगे की दिशा

- मानवाधिकार से सर्वोच्च समस्याओं को केवल आयोग पर न छोड़कर जनता को सार्वजनिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिये। साथ ही मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने की भी आवश्यकता है।
- इसके दावरे में पर्यावरण विवरण की आवश्यकता है ताकि यह दूरे देश में सभी मानवाधिकार उल्लेखन के मामलों पर विचार कर सकें।
- वैभानिक सीमितता के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के प्रबोही के रूप में प्रभावी भूमिका निभाना रहा है और निभा सकता है।